575
24/9/12

खण्ड : 2 संख्या : 15, 16, 17

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(द्वितीय सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

बुधवार, दिनांक : **18** जुलाई **1990** ई०
वृहस्पतिवार, दिनांक : **19** जुलाई **1990** ई०
शुक्रवार, दिनांक : **20** जुलाई **1990** ई०

योजनाओं पर अद्यतन व्यय अजय 5324.75 लाख पुनासी 2990.31 लाख, बुढ़ई 34.93 लाख, गुमानी 2016.26 लाख, तोरई 1502.06 (कुल 11868.31 लाख) है।

योजनाओं की प्रगति-अजय (शीर्ष कार्य 40 प्रतिशत, मुख्य नहर कार्य 73 प्रतिशत, पुनासी शीर्ष कार्य 35 प्रतिशत, मुख्य नहर 18 प्रतिशत, गुमानी शीर्ष कार्य 91 प्रतिशत, मुख्य नहर 88 प्रतिशत, तोरई मुख्य नहर 92 प्रतिशत, शीर्ष कार्य शून्य, बुढ़ई का प्री-कन्स्ट्रक्शन कार्य हो रहा है।

(2) उपलब्ध निधि के अनुसार योजनाओं का कार्य कराया जा रहा है। राज्य सरकार को सिंचाई परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त निधि मिलने एवं राज्य की योजना परिसीमा बढ़े, इस हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है।

बकाये का भुगतान

1421. श्री गोपीनाथ सिंह : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत मेराल प्रखण्ड के अंचला पदाधिकारी श्री बारा ने 1988-89 में जल धारा के अन्तर्गत हरिजन आदिवासियों के लिये सिंचाई के लिये 250 कुओं के निर्माण कराने के लिये प्रावधान किया था;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचला पदाधिकारी द्वारा रेजो ग्राम के श्री बली चमार, श्री कैलास सिंह, श्री केशव सिंह, श्री रमेश राम दुसाध, धुर्सा मोची, सुखाड़ी महरा, श्री शिव केश्वर महेरा, श्री संकट

राम, श्री बृक्ष भोगा, राजदेव सिंह, श्री कैलाश सिंह, श्री लक्ष्मण बैठा को जल धारा के अन्तर्गत वर्क आर्डर दिया गया एवं कुओं का निर्माण कराने के बाद भी उन्हें अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इसकी जांच कराकर गरीब हरिजन एवं आदिवासियों को कबतक भुगतान कराने की व्यवस्था कराना चाहती है और नहीं तो क्यों ?

श्री वृषिण पटेल : (1) वस्तुस्थिति यह है कि पलामू जिला के पेराल प्रखंड में कुल-127 जलधारा कूप का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि जिन 127 लाभान्वितों को जलधारा सिंचाई कूप निर्माण हेतु कार्यादेश दिया गया है, उनमें प्रश्नाधीन व्यक्तियों का नाम नहीं है। जिन लाभान्वितों के नाम से जलधारा सिंचाई कूप के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है, उन्हें नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

(3) उपर्युक्त उत्तर के आलोक में भुगतान कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है फिर भी चूंकि माननीय विधायक ने कई व्यक्तियों का नाम दिया है इसलिये उप विकास आयुक्त पलामू को निदेश दिया जा रहा है कि वे इसकी गहन जांच करके प्रतिवेदन दे।

1422. श्री राजकुमार महासेठ : क्या मंत्री, भवन निर्माण एवं आवास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-